रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2013/अग्रहायण 15, 1935
No. 591] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2013/AGRAHAYANA 15, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवम्बर, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार की अन्य जगह स्थापित करना) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 767(अ).–विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार की अन्य जगह स्थापित करना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 22/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) **ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार की अन्य जगह स्थापित करना) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।**

(ii) **इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हुए**

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार की अन्य जगह स्थापित करना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 22/2000-आरबी) में जो इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित है, के विनियम 4 में, "ईरान अथवा चीन" शब्दों के लिए "ईरान, चीन, हांगकांग अथवा मकाऊ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं.फेमा.293/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई 2000 के सा.का.नि. सं.408(अ) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् नम्नलिखित द्‌वारा संशोधित की गयी:–

सा.का.नि. सं. 698(अ) दिनांक 01.09.2003

सा.का.नि. सं. 847(अ) दिनांक 29.10.2003

सा.का.नि. सं. 336(अ) दिनांक 27.05.2005

सा.का.नि. सं. 200(अ) दिनांक 09.03.2012

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 767(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other Place of Business) Regulations 2000, Notification No. FEMA 22/2000-RB dated 3rd May, 2000, namely: —

1. Short Title and Commencement:-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) (Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2. Amendment to the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other Place of Business) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.22/2000-RB dated May 3, 2000), hereinafter referred to as the 'Principal Regulations', in Regulation 4, for the words, “ Iran or China”, the words “ Iran, China, Hong Kong or Macau” shall be substituted.

[No.FEMA.293 /2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:-The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.408 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-
G.S.R.No.698(E) dated 01.09.2003
G.S.R.No.847(E) dated 29.10.2003
G.S.R.No.336(E) dated 27.05.2005
G.S.R.No.200(E) dated 09.03.2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.